

दिनांक-12 अक्टूबर, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :-

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास)

1. वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल ₹ 100.00 करोड़ (रूपये एक अरब) मात्र के अनुमानित व्यय पर समग्र गव्य विकास परियोजना की स्वीकृति के संबंध में। 1. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

2. बजटीय घोषणाओं के अनुरूप पलाईबोर्ड, ब्लैकबोर्ड, फ्लश डोर तथा इनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला लॉग, प्लैंक, विनियर तथा नॉन-सॉल टिम्बर, पाराफीन वैक्स तथा स्लैक वैक्स एवं सिगरेट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे तम्बाकू के प्रवेश कर की दर में कमी एवं न्यूजप्रिंट को प्रवेश कर से मुक्त करने के संबंध में। 2. स्वीकृत।

वाणिज्य कर विभाग

3. बिहार में वर्तमान छविगृहों, नये छविगृहों ट्वीन डीजीटल एवं मल्टीप्लैक्स के विकास हेतु मनोरंजन-कर से विमुक्ति के संबंध में। 3. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

4. बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों को वेतनमान रु० 15,600-39,100+ग्रेड-पे 5,400/-से वेतनमान रु० 15,600-39,100+ग्रेड-पे 6,600 में प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना (एम०ए०सी०पी०) का लाभ के संबंध में। 4. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

5. बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर पदाधिकारियों को वेतनमान रु० 15,600-39,100+ग्रेड-पे 5,400/- (पुराना वेतनमान रु० 8000-13,500) से उच्चतर वेतनमान रु० 15,600-39,100+ग्रेड-पे 6,600/- (पुराना वेतनमान रु० 10,000-15,200) में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति योजना (ए०सी०पी०) का लाभ प्रदान करने के संबंध में। 5. स्वीकृत।

वित्त विभाग

6. वित्तीय वर्ष 2012-13 में 5735.60 करोड़ रूपए बाजार ऋण सहित कुल 10970.48 करोड़ रूपये के ऋण उगाही की स्वीकृति। 6. स्वीकृत।

वित्त विभाग

7. राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2012 के प्रभाव से 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। 7. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8. वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजनान्तर्गत चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु कुल रू० 400.00 लाख (चार करोड़) मात्र सहायक अनुदान की व्यय की स्वीकृति। 8. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

9. समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए भारत सरकार के डब्लू०बी०एन०पी० (WBNP) के तहत खाद्यान (चावल और गेहूँ) की प्राप्ति को 18 परियोजनाओं से बढ़ाकर राज्य के सभी 38 जिलों की 544 बाल विकास परियोजनाओं में लागू करना। 9. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

10. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा-15 (1) एवं बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-12 (1) के आलोक में बैंड वेतन-9300- 34,800/-+ग्रेड वेतन-4800/-में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारियों की अवर सचिव/समकक्ष कोटि के पद पर बैंड वेतन-15,600-39,100/-+ग्रेड वेतन- 6600/-में नियमित प्रोन्नति के संबंध में। 10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2012-13 में जय प्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग पटना में स्थित मॉडल ब्लड बैंक को सुचारु रूप से चलाने हेतु डाइरेक्टर, चिकित्सक, पारामेडिकल स्टाफ एवं सामान्य कोटि के 26 पदों के सृजन एवं आउटसोर्स से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, रिसेपसनिस्ट, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, चपरासी, गार्ड, स्वीवर, वाहन चालक कुल 15 मानव शक्ति की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति। 11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. बिहार भूमि न्यायाधिकरण के गठन के लिए उसके सेवी वर्ग के पद सृजन के संबंध में।

12. स्वीकृत।

विधि विभाग

13. राज्य के सभी न्यायमंडलों में "ई-कोर्ट मीशन मोड प्रोजेक्ट" लागू किये जाने के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 3,04,62,000/- (तीन करोड़ चार लाख बासठ हजार) रुपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति के संबंध में।

13. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

14. महान स्वतंत्रता सेनानी स्व० सत्यनारायण सिन्हा का जन्म दिवस राजकीय समारोह के रूप में प्रत्येक वर्ष 09 जुलाई को मनाये जाने के संबंध में।

14. स्वीकृत।